

/142058/2023

3446

ई फाईल संख्या-55435

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 31 जुलाई, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-पिरान कलियर में 05 निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 0 का 0 लो 0 नि 0 वि 0, देहरादून द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनके अंतर्गत सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 6.9 कि०मी० एवं लागत ₹295.57 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹295.57 लाख (₹ दो करोड़ पचास लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 05 कार्य हेतु ₹0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-पिरान कलियर के आजादनगर से पनियाला-लाठरदेवा शेख मार्ग के कि०मी० 1 व 2 में सी०सी० इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.30	94.17	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-पिरान कलियर के ग्राम मरगूबपुर में ईदगाह के सामने से अस्पताल की ओर मरगूबर बाईपास सड़क का ईट खडण्जा द्वारा सड़क निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.80	60.64	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-पिरान कलियर के अंतर्गत नहर पुल से महमूदपुर तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.20	44.07	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-पिरान कलियर के ग्राम रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-73 से (डांडी ढलान) मतलबपुर मेन रोड तक सी०सी० इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.580	51.74	0.10

प्रमुख अभियन्ता
लो 0 नि 0 वि 0

2530

SSO (P.W.D.)

Chief Engineer (P.W.D.), Dehradun

जी भंडारी
16-8-23दिनांक 2
14/8/23

142058/2023

5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-पिरान कलियर के ग्राम रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-73 से चार मिनार मस्जिद की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.020	44.95	0.10
	योग	6.9	295.57	0.50

(₹ पचास हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन रहेंगी:-

- ग्राम/नगर पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत से MoU करा लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई होकी स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

42058/2023

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामों डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/141458/2023, दिनांक 27 जुलाई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh

Date: 29-07-2023 18:15:09

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., हरिद्वार।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., रुड़की।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/142058/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23080220034
 आवंटन पत्र दिनांक-10-AUG-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के
 03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					3480000	50000	0	3530000				
योग					3480000	50000	0	3530000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,000 (Rupees Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक-1025 / 20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक-21.08.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
- अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, रुड़की।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
 देहरादून